टी०ए० मिस केस सं० 333/2020-21

दिनांक	आदेश	अभ्युक्ति

31/12/2020

अभिलेख उपस्थापित। आवेदक **शिव शंकर तियु, पिता/पति – स्व० गुलिया राम तियु, ग्राम– डिलियामार्चा**, थाना– **मुफ्फसिल**, जिला– **पश्चिमी सिंहभूम** चाईबासा ने मौजा– **डिलियामार्चा**, थाना नं0– **108**, खाता न0– **75**, प्लॉट न0– **1827**, रकवा– **0.06**एकड़ भूमि क्रेता **आनंदी सावैयाँ, पिता/पति – श्री कृष्णा सावैयाँ, ग्राम– गितिलपी, टोला–किड़ीगोट** थाना– **मुफ्फसिल**, के पास में बिक्री के द्वारा हस्तान्तरित करने की मांग की गई है। इस संबंध मे छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1)परन्तु (ए) के अन्तर्गत इस न्यायालय से उपरोक्त प्लॉट की बिक्री हेतु आम सूचना निर्गत किया गया।

अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई, जो प्राप्त हुआ। विक्रेता के द्वारा भी इस संबंध में आवश्यक दास्तावेज प्रस्तुत किया गया। दास्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि **आवेदित भूमि आवेदक के नाम से नामान्तरण मुकदमा सं० 401/2020–21 द्वारा नामान्तरण स्वीकृत है।** आवेदक का आवेदित भूखंड पर शांतिपूर्ण दखल है।

अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा का जाँच प्रतिवेदन पत्रांक **1319**,दिनांक **23.12.2020** के द्वारा प्राप्त है। मकान बनवाने हेतु रूपये की आवश्यकता होने के कारण भू–खण्ड को क्रेता **आनंदी सावैयाँ, पिता/पति – श्री कृष्णा सावैयाँ, ग्राम– गितिलपी, टोला–किड़ीगोट**, थाना– **मुफ्फसिल**, के पास **4,40,000.00/–(चार लाख चालीस हजार रुपये) मात्र।** में बिक्री करना चाहते हैं। जाँच प्रतिवेदन से यह स्पष्ट होता है कि विक्रेता एवं क्रेता दोनों एक ही थाना के निवासी है। उक्त दोनों अनुसूचित जन जाति के सदस्य हैं। आम सूचना का तामिला प्राप्त है। किसी प्रकार का कोई आपति प्राप्त नहीं हुआ है।

उपरोक्त प्लॉट की बिक्री के पश्चात् भी **2.00** एकड़ भूमि बचता है। आवेदक के पास भरण पोषण हेतु पैत्रिक भू संपत्ति समुचित है।

अतः अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा एवं ग्रामीण मुण्डा के अनुशंसा के आलोक में विक्रेता **शिव शंकर तियु, पिता/पति – स्व० गुलिया राम तियु, ग्राम– डिलियामार्चा**, थाना– **मुफ्फसिल**, जिला–पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा ने मौजा– **डिलियामार्चा**, थाना नं0– **108**, खाता न0– **75**, प्लॉट न0– **1827**, रकवा– **0.06**एकड, भूमि को क्रेता **आनंदी सावैयाँ, पिता/पति – श्री कृष्णा सावैयाँ, ग्राम– गितिलपी, टोला–किड़ीगोट**, थाना– **मुफ्फसिल**, जिला– पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा के पास छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1)परन्तु (ए) के अन्तर्गत बिक्री द्वारा हस्तांतरण करने की अनुमति दी जाती है।

लेखापित

31/12   31/12/2020

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता   भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता
सदर चाईबासा।   सदर चाईबासा।

Scanned with CamScanner